

# सहमति अनुबंध



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश-176215

और



शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, पंजीकृत शैक्षिक, संस्था संदर्भ, क्रमांक 1023 पंजीकरण  
दिनांक 24.05.2007, सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लॉक, नारायणा विहार, नई दिल्ली-  
110028, [www.bharatiyashiksha.com](http://www.bharatiyashiksha.com), Email:-[atulssun@gmail.com](mailto:atulssun@gmail.com)  
दूरभाष सं.011-25898023.

इस सहमति अनुबंध के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय,  
धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश को "हि.प्र.के.वि." और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को  
"न्यास" कहा जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास,  
नई दिल्ली।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
कुलसचिव  
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय,  
धर्मशाला।

## 1. अकादमिक:-

| क्र. सं. | पाठ्यक्रम का नाम                             | अवधि              | पात्रता                      |
|----------|--|-------------------|------------------------------|
| 1        | वैदिक गणित का प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रम | 06 माह/<br>12 माह | उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष हो |

हि.प्र.के.वि. के दर्शाए पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार सत्र 2021-22 में संचालित करेगा तथा न्यास को विषय-विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम सामग्री तथा अकादमिक सहयोग प्रदान करने हेतु अधिकृत करता है। वैदिक गणित का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में मिश्रित माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) द्वारा संचालित होगा।

## 2. पाठ्यक्रम :-

न्यास के विशेषज्ञ, हि.प्र.के.वि. को पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करेंगे।

## 3. पाठ्यक्रमकापरिसंचालन :-

यह पाठ्यक्रम नियमित मिश्रित माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) द्वारा संचालित किया जाएगा। हि.प्र.के.वि., न्यास के द्वारा तैयार किए गए पाठ्य सामग्री को प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदान करेगा।

## 4. परीक्षाएं:-

परीक्षाओं का प्रारूप न्यास और हि.प्र.के.वि. संयुक्त रूप से तैयार करेंगे।

## 5. सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी व अन्य अनुसन्धान क्रियाएँ :-

न्यास और हि.प्र.के.वि. संयुक्त रूप से सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी व अन्य अनुसन्धान क्रियाओं का आयोजन करेंगे।

## 6. रिसोर्स पर्सन :-

न्यास, हि.प्र.के.वि. को रिसोर्स पर्सन प्रदान करेगा और हि.प्र.के.वि., न्यास को रिसोर्स पर्सन प्रदान करेगा।

## 7. अनुबंध की अवधि :-

यह अनुबंध 2021-2023 तक के लिए किया जाता है।

## 8. अनुबंध का संशोधन/समाप्ति :-


अनुबंध में शामिल संस्थाओं के मध्य परस्पर समझौते के आधार पर अनुबंध समाप्ति के पहले नवीनीकृत किया जा सकता है अथवा 06 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

## 9. विधिक विवाद :-

विधिक विवाद हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंतर्गत सीमित होंगे।



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास,  
नईदिल्ली।  
विश्वविद्यालय,



प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
कुलसचिव  
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय  
धर्मशाला


स्थान:

तिथि:

1. साक्षी 

डा० पंकज कुमार S/o स्वर्गीय स्त्री मनीराम

सहायक प्रोफेसर, श्रीनिवास रामानुजन गीठाल विभाग


2. साक्षी 

डा० प्रदीप कुमार

अध्यक्ष, क्षेत्र कलाशाला

हि० प्र० कें० वि० वि०

3. साक्षी



प्रो. मनोज कुमार (सन्तान)

सम-वमक

प्रीतिधर परिसर-1

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

धर्मशाला